संख्या- 167/2026 / 1503 /चार-2026- 1757337

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2026**

विषय:- भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा के चालू कार्य की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 480/सं0नि0-6(30) /2023-24, दिनांक 22 मई, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा कार्य हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में **रू0 1683.35 लाख (रूपये सोलह करोड़ तिरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद/ कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	टेण्डर के पश्चात् संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन
1	लखनऊ / सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम	भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा कार्य	4442.98	4403.53	2500.00	1683.35

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 349 /2025 / 3489 /चार-2025- 1757337 दिनांक 12 दिसम्बर, 2025, शासनादेश संख्या- 200/2025 / 1069/चार-2025- 1757337 दिनांक 30 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या- 288/2024 / 1768/चार-2024 दिनांक 05 अगस्त, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(9) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 16,83,35,000.00 (रुपये सोलह करोड़ तिरासी लाख पैंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000900 भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या- संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, निर्माण इकाई- 29, गोमती नगर, लखनऊ
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in